

सुभाष कुमार

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

9 जनवरी, 1991

[के. एन. सिंह एवं एन. डी. ओझा, न्यायमूर्तिगण]

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974: धारा 17 , 24 , 25 एवं 26

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 21- जीने के अधिकार में प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के उपभोग का अधिकार शामिल है- एक नागरिक को प्रदूषण दूर करने के लिए अनुच्छेद 32 का सहारा लेने का अधिकार है।

अनुच्छेद 32- जनहित में विनिर्दिष्ट आदेश याचिका- आरोप है कि पश्चिम बोकारो कोलियरीज एवं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अपनी वाशरी से स्लरी नदी में बहाकर बोकारो नदी को प्रदूषित कर रही हैं- आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है- माना गया कि याचिका जनहित में नहीं बल्कि व्यक्तिगत हित के लिए है।

जनहित याचिका - समाज की सुरक्षा में वास्तव में रुचि रखने वाले व्यक्ति द्वारा ही इसका सहारा लिया जाना चाहिए - जनहित याचिका की आड़ में व्यक्तिगत हितों को लागू नहीं किया जा सकता - व्यक्तिगत द्वेष को संतुष्ट करने वाली याचिकाओं पर विचार करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है - न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ऐसी याचिकाओं को हतोत्साहित करे।

याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका के माध्यम से इस न्यायालय में एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उत्तरदाता, वेस्ट बोकारो कोलियरीज एवं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टीआईएससीओ) अपनी वाशरियों से अपशिष्ट के रूप में कीचड़/गाढ़ा पदार्थ नदी में बहाकर बोकारो नदी को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे नदी का पानी

पीने एवं सिंचाई के लिए अनुपयुक्त हो रहा है एवं लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो रहा है; बिहार राज्य एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रदूषण की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने में विफल रहे हैं एवं इसके बजाय बिहार राज्य ने रॉयल्टी के भुगतान पर विभिन्न व्यक्तियों को गाढ़ा पदार्थ एकत्र करने के लिए पट्टे दिए हैं। तदनुसार याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं को नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत टीआईएससीओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश देने की प्रार्थना की। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय से अंतरिम राहत की भी मांग की कि उसे उत्तरदाताओं की धुलाईशालाओं से बहने वाले कीचड़/गाढ़ा पदार्थ को एकत्र करने की अनुमति दी जाए।

उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता के आरोपों का खंडन करते हुए याचिका का विरोध किया। बिहार राज्य प्रदूषण समिति ने दावा किया कि बोकारो कोयला खदानों को बोकारो नदी में जाने वाले अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं एवं 1974 अधिनियम की धारा 25 एवं 26 के अनुसार टीआईएससीओ कंपनी को अपने आउटलेट से अपशिष्ट जल छोड़ने की अनुमति दी गई है। टीआईएससीओ एवं बोकारो कोयला खदानों की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रदूषण को रोकने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए गए हैं एवं उन्होंने राज्य प्रदूषण समिति के निर्देशों का पालन किया है।

दिनांक 13.12.1990 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को खर्च सहित खारिज कर दिया।

याचिका खारिज करने के कारण बताते हुए, इस न्यायालय ने

अभिनिर्धारित: 1. अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बनाया गया है। यह नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक असाधारण उपाय प्रदान करता है। जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है एवं इसमें जीवन के पूर्ण आनंद के लिए प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु

के उपभोग का अधिकार शामिल है। यदि कोई भी चीज कानूनों का उल्लंघन करते हुए जीवन की गुणवत्ता को खतरे में डालती है या उसे कम करती है, तो नागरिक को जल या वायु के प्रदूषण को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 का सहारा लेने का अधिकार है, जो जीवन की गुणवत्ता के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए अनुच्छेद 32 के तहत याचिका प्रभावित व्यक्तियों या सामाजिक कार्यकर्ताओं या पत्रकारों के समूह द्वारा भी दायर की जा सकती है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही का सहारा केवल वही व्यक्ति ले सकता है जो समाज की सुरक्षा में वास्तव में रुचि रखता हो। जनहित याचिका का सहारा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी एवं द्वेष को संतुष्ट करने के लिए नहीं ले सकता। यदि अनुच्छेद 32 के तहत ऐसी याचिकाओं पर विचार किया जाता है, तो यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, जिससे इस न्यायालय के अन्य वास्तविक याचिकाकर्ताओं को शीघ्र न्याय मिलने में बाधा उत्पन्न होगी। जनहित याचिका की आड़ में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तिगत हितों को लागू नहीं किया जा सकता। जनहित याचिका किसी ऐसे समूह या समुदाय के मौलिक अधिकारों की रक्षा या प्रवर्तन के लिए की जाने वाली कानूनी कार्यवाही है जो अपनी अक्षमता, गरीबी या कानून की अज्ञानता के कारण अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने में असमर्थ हैं। अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले व्यक्ति को प्रभावित व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इस न्यायालय में आना चाहिए, न कि अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी या द्वेष को दूर करने के उद्देश्य से। इस न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी याचिकाओं को हतोत्साहित करे एवं यह सुनिश्चित करे कि न्याय का मार्ग बेईमान वादियों द्वारा जनहित याचिका की आड़ में व्यक्तिगत मामलों के लिए इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करके बाधित या दूषित न हो।[13 सी-एच; 14 ए]

*बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ*, [1984] 2 एससीआर 67; *सचिदानंद पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य*, [1987] 2 एससीसी 295; *रामशरण औत्यानुप्रासी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य*, [1989] अनुपूरक 1 एससीसी 251; *क्षेत्रिय प्रदूषण मुक्ति संघर्ष समिति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य*, [1990] 4 एससीसी 449, संदर्भित।

2. यह याचिका जनहित में नहीं बल्कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने स्वार्थ के लिए दायर की गई है। वास्तव में, याचिका में ही स्पष्ट प्रमाण हैं कि इस याचिका को दायर करने का प्राथमिक उद्देश्य किसी जनहित की पूर्ति करना नहीं बल्कि स्वार्थ है। याचिकाकर्ता पिछले कई वर्षों से उत्तरदाताओं से स्लरी खरीद रहा है। समय बीतने के साथ-साथ उसे अधिक से अधिक स्लरी की आवश्यकता होने लगी, लेकिन कंपनी ने उसकी मांग को अस्वीकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने कंपनी के स्लरी को अनधिकृत तरीके से निकाला, जिसके लिए उसके एवं उसके भाई के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। चूंकि उत्तरदाता कंपनी ने अतिरिक्त स्लरी बेचने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने कंपनी के प्रति द्वेष पाल लिया एवं अपने व्यक्तिगत द्वेष को पूरा करने के लिए उसने कंपनी के खिलाफ कई कानूनी कार्यवाही शुरू कीं, जिनमें यह वर्तमान मामला भी शामिल है। याचिकाकर्ता द्वारा अंतरिम राहत के लिए की गई प्रार्थना, जिसमें उसे उत्तरदाताओं की वाशरी से बहने वाले कीचड़/स्लरी को इकट्ठा करने की अनुमति देने एवं बिहार राज्य, उसके अधिकारियों एवं अन्य प्राधिकारियों को उसे कीचड़/स्लरी इकट्ठा करने एवं परिवहन करने से न रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है, स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि वह अपने व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए स्लरी इकट्ठा करने एवं परिवहन करने में रुचि रखता है। इसलिए, याचिकाकर्ता के इस आरोप को स्वीकार करने का कोई ठोस कारण नहीं है कि उत्तरदाता कंपनी की धुलाई फैक्ट्रियों से बोकारो नदी में गाद या घोल के निर्वहन से नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। दूसरी ओर, अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति ने प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। [14 बी; 12 एफ-जी]

कुंडोरी लेबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,  
एआईआर 1986 पटना 242; भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,

[1990] 3 एससीआर 744 = जजमेंट्स टुडे, खंड 3, 1990 एससीसी 533, संदर्भित।

मूल क्षेत्राधिकार: वर्ष 1988 की विनिर्दिष्ट आदेश याचिका (दीवानी) संख्या 381 ।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत)

याचिकाकर्ता की ओर से - एस.के. सिन्हा

उत्तरदाताओं की ओर से - डी. गोबर्धन, सुश्री ए. सुभाषिनी, के.के. लाहिड़ी, सुश्री लीरा  
गोस्वामी एवं डी.एन. मिश्रा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सिंह द्वारा सुनाया गया

हमने 13.12.1990 को दलीलें विस्तार से सुनीं एवं याचिका को 5,000 रुपये के  
जुर्माने के साथ खारिज कर दिया, साथ ही यह निर्देश दिया कि इसके कारण बाद में बताए  
जाएंगे। तदनुसार, हम अपने कारण बता रहे हैं।

यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुभाष कुमार द्वारा दायर की गई है,  
जिसमें बिहार राज्य के हजारीबाग जिले के घटोटांड स्थित पश्चिम बोकारो कोयला खदान के  
निदेशक एवं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड को हजारीबाग जिले के घटोटांड स्थित  
अपनी वाशरियों से बोकारो नदी में स्लरी/कीचड़ का निर्वहन तत्काल रोकने का निर्देश देने  
हेतु एक विनिर्दिष्ट आदेश या आदेश जारी करने की मांग की गई है। यह याचिका टाटा  
आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की वाशरियों से निकलने वाले स्लरी/कीचड़ से बोकारो  
नदी के जल के प्रदूषण को रोकने के लिए जनहित याचिका के रूप में दायर की गई है।  
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि संसद ने जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा  
जल की शुद्धता बनाए रखने या बहाल करने के लिए तथा जल प्रदूषण की रोकथाम एवं  
नियंत्रण के लिए समिति की स्थापना हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,  
1974 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) अधिनियमित किया है। अधिनियम के

प्रावधानों के अंतर्गत, राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति का गठन अधिनियम की धारा 17 के तहत निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए किया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि समिति जलसंधि या औद्योगिक अपशिष्ट तथा जलसंधि एवं औद्योगिक अपशिष्ट के उपचार संयंत्रों का निरीक्षण करेगा तथा जल उपचार हेतु स्थापित योजनाओं, विशिष्टताओं या अन्य डेटा की समीक्षा करेगा तथा जलसंधि या गंदे जल का निर्वहन करते समय व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मानकों को निर्धारित करेगा। अधिनियम की धारा 24 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी भी विषैले, हानिकारक या प्रदूषणकारी पदार्थ को किसी नदी या कुएं में प्रवेश करने का कारण नहीं बनेगा या इसकी अनुमति नहीं देगा, जिससे प्रदूषण में काफी वृद्धि हो सकती है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी - उत्तरदाता संख्या 5 - जमशेदपुर शहर में कोयला खानों/धुलाई कारखानों में खनन कार्य करती है। ये कोयला खान एवं कोयला खदानें पश्चिम बोकारो कोयला खदानों के नाम से जानी जाती हैं एवं इन खदानों में दो कोयला धुलाई कारखाने हैं जहां खानों से निकाले गए कोयले को लाया जाता है एवं वर्गीकृत टुकड़ों में तोड़ा जाता है एवं उसके बाद राख की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से संसाधित किया जाता है। एक रासायनिक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे 'फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रक्रिया' के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया के तहत, वर्गीकृत कोयले को डीजल तेल, पाइन तेल एवं कई अन्य रासायनिक अवयवों के साथ मिलाया जाता है एवं फिर इसे लाखों गैलन पानी से धोया जाता है। अंत में प्राप्त पानी में राख की मात्रा कम हो जाती है एवं यह उच्च श्रेणी की धातुकर्म प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त कोयला होता है, जिसका उपयोग इस्पात निर्माण में किया जाता है। धुलाई की प्रक्रिया में, बड़ी मात्रा में पानी पाइपों के माध्यम से छोड़ा जाता है, जो इस पानी को घोल को रखने के लिए बनाए गए भंडारण तालाबों तक ले जाते हैं। छोड़े गए पानी के साथ, कोयले के छोटे कण भी तालाब में बह जाते हैं, जहां कोयले के कण तालाब की सतह पर बैठ जाते हैं, एवं तालाब से पानी निकालने के बाद उन्हें एकत्र

कर लिया जाता है। पानी के साथ बहकर आने वाले कोयले के कणों को स्लरी कहा जाता है, जो राख रहित होती है एवं इसमें उत्तम गुणवत्ता का कोयला होता है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि अतिरिक्त अपशिष्ट, जो स्लज/स्लरी के रूप में होता है, वाशरी से निकलने वाले अपशिष्ट के रूप में बोकारो नदी में बहा दिया जाता है, जो नदी के तल में जमा हो जाता है एवं याचिकाकर्ता की प्लॉट संख्या 170 सहित भूमि पर भी जमा जाता है। उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि कृषि भूमि पर जमा होने वाला स्लज या स्लरी मिट्टी द्वारा अवशोषित हो जाता है, जिससे मिट्टी पर एक महीन कार्बनयुक्त परत बन जाती है, जो भूमि की उर्वरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि स्लरी के रूप में अपशिष्ट बोकारो नदी में बहाया जाता है, जो नदी के पानी के साथ बहकर दूर-दराज के स्थानों तक पहुँच जाता है एवं नदी के पानी को प्रदूषित करता है, जिसके परिणामस्वरूप नदी का पानी न तो पीने योग्य है एवं न ही सिंचाई के लिए उपयुक्त है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा अपनी वाशरियों से भारी मात्रा में स्लरी का निरंतर निर्वहन आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है एवं इस तरह के निर्वहन के परिणामस्वरूप शुद्ध पेयजल की समस्या गंभीर हो गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि कई अभ्यावेदनों के बावजूद, बिहार राज्य एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रहे हैं, बल्कि उन्होंने नदी के पानी के प्रदूषण की अनुमति दी है। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार राज्य सरकार कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय, रॉयल्टी के भुगतान पर विभिन्न व्यक्तियों को स्लरी संग्रहण के लिए पट्टे दे रही है। तदनुसार, उन्होंने यह निर्देश जारी करने की मांग की है कि उत्तरदाताओं (जिनमें बिहार राज्य सरकार, बिहार प्रदूषण नियंत्रण समिति, भारत सरकार एवं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी शामिल हैं) को बोकारो नदी में स्लरी के निर्वहन से बोकारो नदी के जल प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल

कदम उठाने एवं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए।

उत्तरदाताओं ने याचिका का विरोध किया है एवं उत्तरदाता संख्या 2, 4 एवं 5 - बिहार राज्य, राज्य प्रदूषण समिति, कोयला खदानों के निदेशक एवं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की ओर से प्रति-हलफनामे दाखिल किए गए हैं। उत्तरदाताओं की ओर से दाखिल किए गए प्रति-हलफनामों में याचिकाकर्ता के इस मुख्य आरोप का खंडन किया गया है कि गाद/कीचड़ बोकारो नदी में बहाया जा रहा है जिससे जल एवं भूमि प्रदूषित हो रही है एवं बिहार राज्य प्रदूषण समिति ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। बिहार राज्य प्रदूषण समिति की ओर से दायर प्रति-हलफनामे में यह दावा किया गया है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी खुले एवं भूमिगत खनन का संचालन करती है। कंपनी ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं 26 के अनुसार अपने निकासों से अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए समिति से स्वीकृति हेतु आवेदन किया था। स्वीकृति देने से पहले समिति ने अपशिष्ट जल का विश्लेषण किया, जिसकी निरंतर निगरानी की जा रही थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्वहन से बोकारो नदी के जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। प्रदूषण को रोकने के लिए समिति ने कोयला खदानों के निदेशक को बोकारो नदी में जाने वाले अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश जारी किया। राज्य प्रदूषण समिति ने कंपनी पर ठोस पदार्थों के पृथक्करण एवं पुनः धुलाई के लिए दो निपटान टैंकों के निर्माण की शर्तें लगाईं। समिति ने नियमित रूप से नमूने लेने एवं निलंबित ठोस पदार्थों की जांच करने तथा प्रत्येक माह समिति को परीक्षण परिणामों की सूचना देने का निर्देश दिया। राज्य समिति ने दावा किया है कि कंपनी ने अपशिष्ट जल की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए चार तालाबों का निर्माण किया है। प्रदूषण समिति अपशिष्ट जल की निगरानी कर रहा है। यह भी कहा गया है कि इस विनिर्दिष्ट आदेश याचिका की सूचना प्राप्त होने पर समिति ने 20 जून, 1988 को वाशरी

से निकलने वाले अपशिष्ट जल के उपचार के संबंध में निपटान टैंकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर पाया गया कि चारों सेटलिंग टैंक पहले ही पूरे हो चुके थे एवं टैंकों के तटबंध को एवं मजबूत करने का काम चल रहा था, एवं वाशरी से बोकारो नदी में कोई अपशिष्ट नहीं छोड़ा जा रहा था, सिवाय तटबंध से मामूली रिसाव के। आगे कहा गया है कि समिति ने सभी पहलुओं पर विचार किया एवं आगे सुधार के लिए कोयला खदानों के प्रबंधन को टैंकों से जमे हुए घोल को हटाने का निर्देश दिया। समिति ने निर्देश दिया है कि ठोस पदार्थों के पृथक्करण के लिए आवश्यक उचित प्रतिधारण समय प्राप्त करने एवं समिति द्वारा निर्धारित मानकों के भीतर अपशिष्ट जल के निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए वाशरीज नियमित अंतराल पर निपटान टैंकों की गाद की सफाई करें। यह भी कहा गया है कि वर्तमान में किसी भी टैंक से बोकारो नदी में कोई निर्वहन नहीं हो रहा है एवं नदी के जल के प्रदूषण या भूमि की उर्वरता पर प्रभाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। उत्तरदाता संख्या 4 एवं 5 की ओर से दायर हलफनामों में उन्होंने याचिका में लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने दावा किया है कि वाशरियों से निकलने वाले पानी को बोकारो नदी में जाने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उनका कहना है कि वास्तव में बोकारो नदी साल में 9 महीने तक सूखी रहती है एवं इसलिए नदी में स्लरी (गाढ़ा पदार्थ) के बहाव से जल प्रदूषण का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि, वाशरी प्रबंधन ने स्लरी को संग्रहित करने के लिए विभिन्न तालाबों का निर्माण किया है। तालाबों में जमा होने वाली स्लरी को बिक्री के लिए एकत्र किया जाता है। स्लरी में उच्च कार्बनयुक्त पदार्थ होते हैं एवं इसे ईंधन के रूप में बहुत मूल्यवान माना जाता है क्योंकि इसमें पाए जाने वाले कोयले के कणों में राख की मात्रा लगभग नगण्य होती है। उच्च बाजार मूल्य के कारण, कंपनी इसे नदी के पानी में जाने देना नहीं चाहती। कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं कि स्लरी का कोई भी हिस्सा उसके तालाबों से बाहर न निकले क्योंकि यह अत्यधिक

मूल्यवान है। कंपनी 1974 के अधिनियम के तहत गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जारी निर्देशों का पालन कर रही है।

याचिका में दिए गए तथ्यों एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से दायर प्रति-शपथपत्र में निहित विशिष्ट कथनों के आधार पर, प्रथम दृष्टया हमें याचिकाकर्ता के इस आरोप को स्वीकार करने का कोई ठोस कारण नहीं मिलता कि उत्तरदाता कंपनी की धुलाई फैक्ट्रियों से बोकारो नदी में गाद या घोल के निर्वहन से नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। दूसरी ओर, हम पाते हैं कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति ने प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। हम इस मामले में अधिक विस्तार से विचार करना आवश्यक नहीं समझते क्योंकि यह याचिका जनहित में दायर नहीं की गई प्रतीत होती, बल्कि याचिकाकर्ता ने इसे अपने स्वयं के हित में दायर किया है।

उत्तरदाता संख्या 4 एवं 5 की ओर से दायर प्रति-हलफनामे के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता पिछले कई वर्षों से उत्तरदाता संख्या 4 एवं 5 से स्लरी खरीद रहा है। समय बीतने के साथ-साथ उसे स्लरी की अधिक से अधिक आवश्यकता होने लगी, लेकिन उत्तरदाता कंपनी ने उसके अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली व्यवसायी है, उसने कोयला व्यापार का लाइसेंस प्राप्त कर रखा है। उसने स्लरी की अधिक मात्रा की आपूर्ति के लिए उत्तरदाता कंपनी पर विभिन्न स्रोतों के माध्यम से दबाव डालने का प्रयास किया, लेकिन जब कंपनी ने दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया, तो उसने कंपनी को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कंपनी की स्लरी को अनाधिकृत तरीके से निकाला, जिसके लिए याचिकाकर्ता एवं उनके भाई प्रदीप कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379 एवं 411 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत आपराधिक मामला संख्या 173/1987 मांडू पुलिस थाना में दर्ज किया गया था, जो हजारीबाग के सब-जज के समक्ष लंबित है। श्री जुगल किशोर जयसवाल ने भी याचिकाकर्ता एवं उनके भाई प्रदीप कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता

की धारा 379 एवं 411 के तहत हजारीबाग के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की न्यायालय में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी, जो हजारीबाग के द्वितीय श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की न्यायालय में लंबित है। याचिकाकर्ता ने रैयती भूमि से स्लरी एकत्र करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय में कई कार्यवाही शुरू कीं। भूमि के स्वामित्व से संबंधित विवाद के अस्तित्व के आधार पर इन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में विनिर्दिष्ट आदेश याचिका सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 887/1990 दायर कर हजारीबाग के उपायुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, ताकि *कुंदोरी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य बनाम अन्य*, एआईआर 1986 पटना 242 में पटना उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले को लागू किया जा सके, जिसमें यह माना गया था कि स्लरी न तो कोयला है एवं न ही खनिज, बल्कि यह कोयला खदान का औद्योगिक अपशिष्ट है, जो खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अधीन नहीं है। परिणामस्वरूप, वाशरियों से निकलने वाले स्लरी के संग्रह का निपटारा राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त किए बिना किसी भी व्यक्ति के साथ किया जा सकता था। याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क देता रहा है कि वाशरियों से निकलने वाला स्लरी कंपनी का नहीं था एवं उसे इसे एकत्र करने का अधिकार था। चूंकि उत्तरदाता कंपनी ने याचिकाकर्ता को अपनी भूमि से स्लरी एकत्र करने से रोका एवं उसे अतिरिक्त मात्रा में स्लरी बेचने से भी इनकार कर दिया, इसलिए याचिकाकर्ता के मन में उत्तरदाता कंपनी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। अपने निजी द्वेष को पूरा करने के लिए उन्होंने उत्तरदाता कंपनी के खिलाफ कई कानूनी कार्यवाही की हैं, जिनमें वर्तमान कार्यवाही भी शामिल है। ये तथ्य पक्षों के बयानों एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट हैं। वास्तव में, याचिका में ही यह स्पष्ट प्रमाण है कि इस याचिका को दायर करने का प्राथमिक उद्देश्य किसी जनहित की पूर्ति नहीं है, बल्कि यह स्वार्थ से प्रेरित है, जैसा कि

याचिकाकर्ता द्वारा अंतरिम स्थगन आवेदन में की गई प्रार्थना से स्पष्ट होता है। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय से अंतरिम राहत की मांग की है कि उसे उत्तरदाता संख्या 4 एवं 5 की वाशरियों से निकलने वाले कीचड़/गाढ़ा पदार्थ को इकट्ठा करने की अनुमति दी जाए एवं बिहार राज्य, उसके अधिकारियों एवं अन्य प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे उसे कीचड़/गाढ़ा पदार्थ इकट्ठा करने एवं उसका परिवहन करने से न रोकें। याचिकाकर्ता द्वारा की गई अंतरिम राहत की प्रार्थना से स्पष्ट है कि वह अपने व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए गाढ़ा पदार्थ इकट्ठा करने एवं उसका परिवहन करने में रुचि रखता है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, पटना उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने माना कि गाढ़ा पदार्थ कोयला नहीं है एवं खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, राज्य सरकार इसे निपटाने के लिए स्वतंत्र है एवं टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी को अपनी वाशरियों से निकलने वाले गाढ़े पदार्थ को इकट्ठा करने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तरदाता कंपनी ने इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उपरोक्त अपील के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर की। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड एवं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा दायर अपील को इस न्यायालय ने स्वीकार कर लिया एवं पटना उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया। इस न्यायालय का फैसला *जजमेंट्स टुडे वॉल्यूम 3, 1990 एससी 533* में प्रकाशित हुआ है, जिसमें यह माना गया है कि किसी भी भूमि पर जमा स्लरी/कोयला कोयला ही रहता है एवं राज्य सरकार को कानूनन उससे निपटने का कोई अधिकार नहीं है, एवं कंपनी की भूमि पर जमा स्लरी कंपनी की है एवं किसी अन्य व्यक्ति को उसे एकत्र करने का अधिकार नहीं है।

अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बनाया गया है। यह नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक असाधारण प्रक्रिया प्रदान करता है। जीने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है एवं इसमें जीवन के पूर्ण आनंद के लिए प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु का

उपभोग करने का अधिकार शामिल है। यदि कोई भी चीज कानूनों का उल्लंघन करते हुए जीवन की गुणवत्ता को खतरे में डालती है या उसे कम करती है, तो नागरिक को जल या वायु के प्रदूषण को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 का सहारा लेने का अधिकार है, जो जीवन की गुणवत्ता के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए अनुच्छेद 32 के तहत याचिका प्रभावित व्यक्तियों या सामाजिक कार्यकर्ताओं या पत्रकारों के समूह द्वारा भी दायर की जा सकती है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही का सहारा केवल वही व्यक्ति ले सकता है जो समाज की सुरक्षा में वास्तव में रुचि रखता हो। जनहित याचिका का सहारा कोई व्यक्ति या संस्था अपने व्यक्तिगत द्वेष एवं शत्रुता को संतुष्ट करने के लिए नहीं ले सकता। यदि अनुच्छेद 32 के तहत ऐसी याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है, तो यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा एवं इस न्यायालय से अन्य वास्तविक याचिकाकर्ताओं को शीघ्र न्याय मिलने में बाधा उत्पन्न करेगा। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से जनहित याचिका की आड़ में व्यक्तिगत हित को लागू नहीं किया जा सकता है। जनहित याचिका का तात्पर्य व्यक्तियों या समुदाय के एक समूह के मौलिक अधिकारों की रक्षा या प्रवर्तन के लिए कानूनी कार्यवाही से है, जो अपनी अक्षमता, गरीबी या कानून की अज्ञानता के कारण अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने में सक्षम नहीं हैं। अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को प्रभावित व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इस न्यायालय में आना चाहिए, न कि अपने व्यक्तिगत द्वेष या शत्रुता को दूर करने के उद्देश्य से। इस न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी याचिकाओं को हतोत्साहित करे एवं यह सुनिश्चित करे कि न्याय का मार्ग बेईमान याचिकाकर्ताओं द्वारा जनहित याचिका की आड़ में व्यक्तिगत मामलों के लिए इस न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके बाधित या दूषित न हो। जनहित याचिका किसी ऐसे समूह या समुदाय के मौलिक अधिकारों की रक्षा या प्रवर्तन के लिए की जाने वाली कानूनी

कार्यवाही है जो अपनी अक्षमता, गरीबी या कानून की अज्ञानता के कारण अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने में असमर्थ हैं। अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले व्यक्ति को प्रभावित व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इस न्यायालय में आना चाहिए, न कि अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी या द्वेष को दूर करने के उद्देश्य से। इस न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी याचिकाओं को हतोत्साहित करे एवं यह सुनिश्चित करे कि न्याय का मार्ग बेईमान वादियों द्वारा जनहित याचिका की आड़ में व्यक्तिगत मामलों के लिए इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करके बाधित या दूषित न हो। देखें *बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ*, [1984] 2 एससीआर 67; *सचिंदानंद पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य*, [1987] 2 एससीसी 295 पृष्ठ 331; *रामशरण औत्त्यानुप्रसी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य*, [1989] अनुपूरक 1 एससीसी 251 एवं *क्षेत्रिय प्रदुषण मुक्ति संघर्ष समिति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य*, [1990] 4 एससीसी 449।

उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा मत है कि यह याचिका जनहित में नहीं बल्कि याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत हित में दायर की गई है, एवं इन्हीं कारणों से हमने इसे खारिज कर दिया तथा याचिकाकर्ता को 5,000 रुपये का हर्जाना अदा करने का निर्देश दिया। यह हर्जाना उत्तरदाता संख्या 3, 4 एवं 5 को अदा किया जाना है।

टी.एन.ए.

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।